

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 7

भेषज विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	449.01	7.15	456.16	461.29	9.12	470.41	1758.20	148.12	1906.32	2238.85	5.30	2244.15
<i>वसूलियां</i>	-0.15	...	-0.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	-1083.21	...	-1083.21	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>448.86</b>	<b>7.15</b>	<b>456.01</b>	<b>461.29</b>	<b>9.12</b>	<b>470.41</b>	<b>674.99</b>	<b>148.12</b>	<b>823.11</b>	<b>2238.85</b>	<b>5.30</b>	<b>2244.15</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	14.40	...	14.40	16.73	...	16.73	15.98	...	15.98	18.56	...	18.56
2. राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण	12.74	...	12.74	14.80	...	14.80	14.01	...	14.01	17.79	...	17.79
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>27.14</b>	<b>...</b>	<b>27.14</b>	<b>31.53</b>	<b>...</b>	<b>31.53</b>	<b>29.99</b>	<b>...</b>	<b>29.99</b>	<b>36.35</b>	<b>...</b>	<b>36.35</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
3. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	306.27	...	306.27	215.34	...	215.34	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00
4. जन औषधि स्कीम	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	68.50	...	68.50	72.50	...	72.50
5. भेषज उद्योग का विकास	20.45	...	20.45	124.42	...	124.42	0.02	...	0.02	...	...	...
6. उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य मॉनीटरिंग	2.60	...	2.60	6.00	...	6.00	4.50	...	4.50	6.00	...	6.00
<b>भेषज उद्योग विकास</b>												
7. भेषज उद्योग का विकास												
7.01 भेषज संवर्धन एवं विकास योजना	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
7.02 सामान्य सुविधाओं के लिए भेषज उद्योग को सहायता/कलस्टर विकास	...	...	...	...	...	...	15.61	...	15.61	36.00	...	36.00
7.03 भेषज प्रौद्योगिकी की उन्नयन सहायता योजना (फीटियूएस)	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	62.00	...	62.00
<i>जोड़- भेषज उद्योग का विकास</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>17.62</i>	<i>...</i>	<i>17.62</i>	<i>100.00</i>	<i>...</i>	<i>100.00</i>
<b>उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं</b>												
8. उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना												
8.01 थोक औषध भंडार का संवर्धन	...	...	...	...	...	...	36.24	...	36.24	900.00	...	900.00
8.02 भारत में क्रिटिकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स/ड्रग इंटरमेडिएट्स एण्ड फार्माश्यूटिकल इंटरमेडिएट्स के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना	...	...	...	...	...	...	2.79	...	2.79	390.00	...	390.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8.03 चिकित्सा उपकरण भंडारों का संवर्धन	...	...	...	...	...	...	137.02	...	137.02	120.00	...	120.00
8.04 चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना	...	...	...	...	...	...	3.31	...	3.31	216.00	...	216.00
8.05 भेषज के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
<i>जोड़- उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना</i>	...	...	...	...	...	...	<i>182.36</i>	...	<i>182.36</i>	<i>1629.00</i>	...	<i>1629.00</i>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>394.32</b>	...	<b>394.32</b>	<b>410.76</b>	...	<b>410.76</b>	<b>623.00</b>	...	<b>623.00</b>	<b>2157.50</b>	...	<b>2157.50</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
9. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	27.55	...	27.55	19.00	...	19.00	22.00	...	22.00	45.00	...	45.00
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
10. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	...	7.15	7.15	...	9.12	9.12	...	148.12	148.12	...	5.30	5.30
11. भेषज सा.क्षे.उ. से संबंधित हानियां बट्टे खाते डालना/माफ करना												
11.01 इंडिया ड्रग्स एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	...	...	...	...	...	...	889.50	...	889.50	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	-889.50	...	-889.50	...	...	...
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.02 बंगाल केमिकल्स एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	...	...	...	...	...	...	193.71	...	193.71	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	-193.71	...	-193.71	...	...	...
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	...	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>	...	<b>9.12</b>	<b>9.12</b>	...	<b>148.12</b>	<b>148.12</b>	...	<b>5.30</b>	<b>5.30</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>27.55</b>	<b>7.15</b>	<b>34.70</b>	<b>19.00</b>	<b>9.12</b>	<b>28.12</b>	<b>22.00</b>	<b>148.12</b>	<b>170.12</b>	<b>45.00</b>	<b>5.30</b>	<b>50.30</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
12. वसूली	-0.15	...	-0.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>448.86</b>	<b>7.15</b>	<b>456.01</b>	<b>461.29</b>	<b>9.12</b>	<b>470.41</b>	<b>674.99</b>	<b>148.12</b>	<b>823.11</b>	<b>2238.85</b>	<b>5.30</b>	<b>2244.15</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. उद्योग	434.46	...	434.46	406.85	...	406.85	596.70	...	596.70	2178.09	...	2178.09
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	14.40	...	14.40	16.73	...	16.73	15.98	...	15.98	18.56	...	18.56
3. रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	...	7.15	7.15	...	9.12	9.12	...	148.12	148.12	...	5.30	5.30
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>448.86</b>	<b>7.15</b>	<b>456.01</b>	<b>423.58</b>	<b>9.12</b>	<b>432.70</b>	<b>612.68</b>	<b>148.12</b>	<b>760.80</b>	<b>2196.65</b>	<b>5.30</b>	<b>2201.95</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	37.71	...	37.71	62.31	...	62.31	42.20	...	42.20

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	...	...	...	37.71	...	37.71	62.31	...	62.31	42.20	...	42.20
कुल जोड़	448.86	7.15	456.01	461.29	9.12	470.41	674.99	148.12	823.11	2238.85	5.30	2244.15

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																		
1. कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	...	23.18	23.18	...	33.75	33.75	...	30.00	30.00	...	33.00	33.00	...	33.00	33.00			
2. इंडियन ड्रग्स एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	2.23	...	2.23	...	...	...	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00	...	...	4.00			
3. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	2.52	...	2.52	...	...	...	122.09	...	122.09	1.26	...	1.26	...	...	1.26			
4. बंगाल केमिकल्स एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	0.01			
5. बंगाल इम्यूनिटी लि.	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	0.01			
6. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	2.40	...	2.40	...	...	...	24.00	...	24.00	0.01	...	0.01	...	...	0.01			
7. स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	0.01			
<b>जोड़</b>	<b>7.15</b>	<b>23.18</b>	<b>30.33</b>	<b>...</b>	<b>33.75</b>	<b>33.75</b>	<b>148.12</b>	<b>30.00</b>	<b>178.12</b>	<b>5.30</b>	<b>33.00</b>	<b>38.30</b>	<b>...</b>	<b>33.00</b>	<b>38.30</b>			

- सचिवालय:** यह प्रावधान भेषज विभाग के वेतन और स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण:** यह प्रावधान एनपीपीए के सचिवालय एवं स्थापना व्यय के लिए रखा गया है।
- राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):** यह प्रावधान 7 एनआईपीईआर अर्थात् मोहाली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली के लिए स्थापना एवं अन्य व्यय के लिए किया गया है।
- जन औषधि स्कीम:** प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के कारगर क्रियान्वयन के लिए जन औषधि स्कीम के अंतर्गत।
- उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य मॉनीटरिंग:** यह प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और राज्य संसाधन यूनिटों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

- 7.01. भेषज संवर्धन एवं विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके और निर्यात के साथ-साथ निवेश, संचालन अध्ययन/विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए परामर्श के लिए भारत से बढ़ते प्रतिनिधिमंडल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रचार, विकास और निर्यात को बढ़ावा देना है।
- 7.02. सामान्य सुविधाओं/क्लस्टर विकास के लिए भेषज उद्योग को सहायता :** इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में एकमुश्त अनुदान सहायता के माध्यम से विभिन्न चरणों में जारी किया जाएगा ताकि इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के लिए पहचान की गई बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए जारी किया जा सके।
- 7.03. भेषज प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना:** उप-योजना का उद्देश्य पात्र लघु और मध्यम स्तर की फार्मा इकाइयों को जीएमपी अनुरूप विनिर्माण सुविधाओं के लिए बल्क ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मूलेशन दोनों के लिए व्याज सबवेंशन प्रदान करना है। डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानदंडों को प्राप्त करने के लिए अपने विनिर्माण बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की इच्छुक पात्र इकाइयों को अपने बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण सुरक्षित करना होगा।

8.01. **थोक औषध भंडार का संवर्धन :** थोक दवाओं की निर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी लाने और इस तरह घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पार्क में स्थित थोक दवा इकाइयों को विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाएं (सीआईएफ) तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए देश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए।

8.02. **भारत में क्रिटिकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स (केएसएम)/ड्रग इंटरमेडिएट्स एवं एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इन्फ्रैस्ट्रक्चर्स के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना:** इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण केएसएम/डीआई/एपीआई में आयात निर्भरता को कम करना है। योजना के तहत पात्र उत्पादों के लिए चयनित आवेदक द्वारा किए गए प्रतिबद्ध निवेश और बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

8.03. **चिकित्सा उपकरण भंडार का संवर्धन:** भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने के लिए। बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा के लिए विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच के परिणामस्वरूप चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी जिससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और वहनीयता होगी।

8.04. **उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना:** यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है।

8.05. **भेषज के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना:** इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और दवा क्षेत्र में उच्च मूल्य के सामान के उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है।

9. **राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):** 7 एनआईपीईआर यानी मोहाली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली के लिए वेतन भुगतान के लिए प्रावधान किया गया व्यय है।

10. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता:** ये प्रावधान 6 फार्मास्यूटिकल्स सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए रखे गए ऋण के तहत हैं।